

दिनांक 12.6.08 के शाम 5.00 बजे फरियादी नवलसिंह राजपूत निवासी जहांगीरपुर बैंक से 1,39000 /—रु० लेकर घर जा रहा था। करणपुरा फंटे के बीच अज्ञात 03 बदमाशों द्वारा फरियादी की आँखों में मीर्ची डालकर नगदी छीन ले गये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना इंगोरिया पर अप०क्र० 146 / 08 धारा 394 भादवि अज्ञात आरोपीगण के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी गोकुलसिंह राज०, राजाराम चमार, संतोष गुजर, विक्रम बंजारा, हाकमसिंह बलाई को दिनांक 29.6.08 को गिरफ्तार कर मश्रुका बरामद किया गया।